



## Uttar Utsav

30<sup>th</sup> July 2016

४ बजे अधोहस्ताक्षरकर्ता मनोनीत अधिकृती द्वारा निवादाताओं के सम्मुख द्वारा। निवादा के 'प्रथम विदा' में अंकित थेरेहर की एन.एस.सी./  
सी.डी.आर.  
कर्ता के पद नाम पर और दूसरे मुहरबन्द द्वा की दर्द आदि होती। निवादा के सम्मुख द्वारा मूल्य के बैंक ड्राफ्ट पर निवादा खुलने से किसी भी कार्य दिवस जा सकती है। यदि ने की तिथि पर कोई अवकाश घोषित हो तो उसे अगले कार्य दिवस खोती जायेगी। इसको किसी भी दूसरी निवादाओं को निवादा निरस्त करने नहीं होता।

मेरा हरमन माइनर स्कूल, भीमताल का 12वीं स्थानान्तरण प्रमाण पत्र वर्ष 2015 खो गया है। शुभम भृषु पूत्र श्री बी.डी. भृषु तल्लीताल-भीमताल (नैनीताल) उत्तराखण्ड

**सम्मन**

न्यायालय श्रीमान अपर सहायक कलक्टर प्रथम श्रेणी हल्द्वानी नैनीताल।  
राजस्व वाद सं.-22/53 सन 15-16 वादा- मौ. फारूख सिद्दीकी बनाम

प्रतिवादीण-सरकार उत्तराखण्ड आद सम्म बनाम प्रतिवादी- 01-श्रीमूर्ज कलक्टर महोदय नैनीताल, जिला नैनीताल। 02-ग्राम प्रधान ग्राम सभा कालाहूंगी बन्दोबस्ती, तहसील कालाहूंगी, जिला नैनीताल। 03-ग्राम सिंह उपर रुप सिंह पूत्र श्री देव सिंह, निवासी कालाहूंगी बन्दोबस्ती, तहसील कालाहूंगी (नैनीताल)।

हरयाह आपके सूचित किया जाता है कि बादी मौ. फारूख सिद्दीकी के द्वारा एक वाद इस न्यायालय में धारा 229बी. ज.वि.अधि. के तहत दावर किया है जो इस न्यायालय में दर्ज कर लिया गया है, जिसमें दिनांक 04.माह 08 सन 16 को वास्ते जवाबदावा हेतु निवाद है।

अतः आप उक्त नियत तिथि को इस न्यायालय में अपनी ओर से स्वयं अथवा अधिकारका के जवाबदावा प्रस्तुत करें। अन्यथा मामला उक्त एक तरफ सुना व निर्णित किया जाएगा।

आज दिनांक- 15.07.2016 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुहर से जारी किया गया है।

आदेशानुसार  
अपर सहायक कलक्टर प्रथम श्रेणी  
हल्द्वानी, जिला नैनीताल

**राष्ट्रीय अन्धता निवारण कार्यक्रम, उथमसिंह नगर  
के सौजन्य से**

**निःशुल्क मोतियाबिन्द ऑपरेशन शिविर**  
मा. स्वास्थ्य मंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार के निदेशानुसार रुद्रपुर में दिनांक 12 व 13 अगस्त, 2016 को स्थान ज.ला.ने. जिला चिकित्सालय, रुद्रपुर तथा काशीपुर में दिनांक 22 व 23 अगस्त, 2016 को स्थान एल.डी. भट्ट चिकित्सालय, काशीपुर, उथमसिंह नगर में निःशुल्क मोतियाबिन्द ऑपरेशन शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें ज.ला.ने. जिला चिकित्सालय, रुद्रपुर तथा एल.डी. भट्ट चिकित्सालय, काशीपुर के नेत्र सर्जन द्वारा नेत्र सम्बन्धी रोगों के ट्रांस्फर

क्रिय के लिये मैंने अपने भागों को लेकर राष्ट्रीयकृत बैंक के कर्मचारियों एवं अधिकारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है।

शुक्रवार को यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के आह्वान पर जनपद में सरर बैंकों एवं उनकी ब्रांचों में एक दिवसीय हड्डताल रही। पूर्णा रानीपुर में वर बैंक कर्मचारियों व अधिकारियों ने केंद्र सरकार की

**इण्डिया ग्लाइकोल्स लिमिटेड**  
पर्सोनल कार्यालय-१-१, इण्डिस्ट्रियल एरिया, बाजपुर रोड, काशीपुर-244713,  
जिला उथमसिंह नगर (उत्तराखण्ड)  
फोन: 05947-269500 फैक्स: 05947-275315  
ईमेल: iglho@indigalcols.com  
वेबसाइट: www.indigalcols.com  
CIN NO. L24111UR1983PLC009097

**सूचना**

भारतीय सिक्कीटीज एन्ड एस्सेंज बॉर्ड अधिनियम 2015 के अधिनियम 29 संहारित अधिनियम 47 (सूचीकरण अवाक्षय एवं प्रकटीकरण अवकाशादारों) के अनुसरण में एलहड्डा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के संचालक मण्डल के एक बैंक शुक्रवार 5 अगस्त, 2016 को नोट्ट, उत्तर प्रदेश में होगी, जिसमें 30 जून, 2016 को साधारण छाले दिनामी के कम्पनी के असंश्लेषित वित्तीय वरिष्ठों एवं प्रतिवृत्तियों के प्रवालन के माध्यम से, निवादों की वाली पर विचार का उक्त अनुमोदन किया जाएगा।

यह सूचना कम्पनी की बेसिसइंट [www.indigalcols.com](http://www.indigalcols.com) तथा स्टॉक एस्सेंज की बेबसाइट, जहां कम्पनी के शेयर सूचीबद्ध हैं, यथा BSE Limited ([www.bseindia.com](http://www.bseindia.com)) तथा भारतीय नेनल स्टॉक एस्सेंज लि. ([www.nseindia.com](http://www.nseindia.com)) पर उपलब्ध है।

इन्हें इण्डिया ग्लाइकोल्स लिं. अंदर जैसे कम्पनी की सूचीमा से लेन देन करेगा तो वह स्वयं जिम्मेदार रहेगा। मेरा तथा मेरे परिवारीजों का रमेश राठौर एवं उसकी पत्नी सुष्मा राठौर से अब कोई भी वास्ता स्वीकृत नहीं रह गया है। चूरीलाल राठौर पूत्र श्री शिवचरनलाल राठौर, निवासी बी.आई.पी. रोट, धोड़नाला.बोरिंग पट्टी, तहसील लालकुम्हा, जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

## संबंध विच्छेद सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैंने अपने पंजाले पुत्र सेश राठौर एवं उसकी पत्नी सुष्मा राठौर को उनके द्वारा मुझसे तथा मेरे परिवारीजों से अभद्र व्यवहार करने व रमेश राठौर के गलत संगत में पड़ जाने के कारण अपनी समस्त चल एवं अचल संपत्ति से बदेखल कर दिया है तथा उनके साथ अपने परिवारिक संबंध भी विच्छेद कर दिए हैं। जो कोई भी सेश राठौर एवं उसकी पत्नी सुष्मा-से लेन देन करेगा तो वह स्वयं जिम्मेदार रहेगा। मेरा तथा मेरे परिवारीजों का रमेश राठौर एवं उसकी पत्नी सुष्मा राठौर से अब कोई भी वास्ता स्वीकृत नहीं रह गया है। चूरीलाल राठौर, निवासी बी.आई.पी. रोट, धोड़नाला.बोरिंग पट्टी, तहसील लालकुम्हा, जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

## कार्यालय सचिव, उत्तरा

पत्रांक: ड.वि.शि.प./डी.एल.एड./207

## प्रारम्भिक शिक्षा में डि

उत्तराखण्ड विद्यालय  
आयोजित डी.एल.एड.  
जनन्हित में प्रगति